प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 17.04.2025

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में चलाये गये अभियान के तहत कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।**
- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 129/2025 धारा 3(5)/333/115(2)109/352/351(2) BNS में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी को किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादिनी श्रीमती संतोष सिंह पत्नी श्रवण कुमार सिंह निवासिनी ग्राम मलासा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार थाना भोगनीपुर पर दिनांक 14.04.2025 को मु0अ0सं0 129/2025 धारा 3(5)/333/115(2)/109/352/351(2) BNS बनाम 10 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वाँछित अभियुक्त विनय सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम मलासा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 27 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर आज दिनाँक 17.04.2025 को समय करीब 12.25 बजे मोहम्मदपुर क्रासिंग से थोड़ा पहले थाना क्षेत्र भोगनीपुर से गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त की घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है प्राप्त साक्ष्य/तथ्यों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. विनय सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम मलासा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 27 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 129/2025 धारा 3(5)/333/115(2)/109/352/351(2) BNS थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी - घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया कि मेरी और विपक्षीगणों में जमीनी रंजिश चल रही थी, विपक्षीगण मेरे ही परिवार के व्यक्ति हैं। इनके द्वारा पूर्व में मेरी दीवाल गिरायी थी एवं गेंहूँ के खेत में दवाई व मेरे अरहर के खेत में खड़ी फसल को काट दिया था, जिसके चलते रंजिश चल रही थी। उसी बात को लेकर हम लोगों ने मौका पाकर मारपीट की थी

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामकिशुन वर्मा चौकी प्रभारी देवीपुर।
2. कां0 970 राहुल कुमार चौकी देवीपुर।
3. कां0 182 सोनवीर सिंह चौकी देवीपुर।